**<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>**
**<u>स्वत्व वाद संख्या–256/2009</u>**
**<u>CIS NO.- 168/2018</u>**

दीनानाथ सिंह एवं अन्य.............................................................................वादीगण

बनाम

शेख कमरूल एवं अन्य........................................................................प्रतिवादीगण

**<u>03.02.2021</u>** उभय पक्ष की पैरवी है। वादी संख्या–2 की ओर से दिनांक 07.01.2021 को एक आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है। जिस पर प्रतिवादीगण की ओर कोई आपत्ति नही किया गया है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के वादी संख्या–1 दीनानाथ सिंह की मृत्यु दिनांक 04.12.2020 में हो गई थी तथा वे अपने पीछे आवेदन में वर्णित वारिसानों को छोड़ गये है। ऐसी स्थिति में मृतक का नाम वादपत्र से कलमजद कर आवेदन में वर्णित उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाए।

सुना तथा न्याय हित में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से वादी संख्या–1 का नाम विलोपित करते हुए आवेदन में वर्णित विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 24.02.2021 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)